

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-3/स्वै अनु/परिपत्र/सम.मं/2019/

दिनांक:- 10/07/2019

परिपत्र

विभाग के ध्यान में आया है कि अनेक बार राजसेवकगण, बिना अवकाश स्वीकृत कराये ही, अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ते हैं, जो एक गंभीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता है। स्वैच्छापूर्वक लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे राजसेवकगण के विरुद्ध भी, यथासमय समुचित कार्यवाही अमल में नहीं लाये जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति अवधि बढ़ती जाती है, जिससे राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जनहित/सार्वजनिक हित बाधित होता है और जनसाधारण को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे राजसेवकगण के अनावश्यक रूप से केडर-स्ट्रेन्थ में बने रहने से अन्य राजसेवकगण के पदोन्नति अवसर प्रभावित होते हैं।

पॉच वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित चले आ रहे राजसेवकगण के संबंध में कार्यवाही करने हेतु राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86 (4) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"Unless the State Government in view of the special circumstances of the case, determines otherwise a State Government employee who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years whether with or without leave, shall be deemed to have resigned from service"


तदनुसार सभी नियुक्ति प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि उनके अधिनस्थ कार्यरत एवं पॉच वर्ष से अधिक अवधि से, बिना अवकाश स्वीकृत कराये (स्वैच्छापूर्वक) निरन्तर कर्तव्य से अनुपस्थित चल रहे राजसेवकगण के विरुद्ध वे उक्त प्रावधानुसार कार्यवाही अमल में लावें।

ऐसे अनुपस्थिति प्रकरण जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86(4) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनके संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित की जावें।

इसी क्रम में सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि:-

1. राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 के तहत नोटिस जारी कर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित करावें।
2. कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होने पर आपके अधिकार क्षेत्र (120 दिवस) का प्रकरण होने पर सीसीए-16 की कार्यवाही करते हुए कार्यग्रहण करावें अन्यथा कार्यवाही प्रारंभ कर प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करावें।
3. अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत राजसेवकगण के पदस्थापन/उपस्थिति अनुपस्थिति का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह में किया जावें, तथा स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित पाये जाने वाले राजसेवकगण के विरुद्ध उक्त वर्णित प्रावधानानुसार बिना विलम्ब के कार्यवाही सम्पादित की जावे।
4. उक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही की पालना रिपोर्ट, प्रति माह के अंतिम सप्ताह में इकजाई कर नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से सलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें। शून्य सूचना होने पर भी, वैसी ही सूचना भी प्रेषित की जावें।

इन दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।



(ओम कसेरा)

निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा एवं प.राज (प्राशि)

राजस्थान बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपी:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त पीईईओ।
5. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं प.राज (प्राशि)

राजस्थान बीकानेर